प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 1012 सन 2020

अनवान :–

1. मंगतुराम पुत्र पूर्णराम जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. शकुन्तला पुत्री छतसिह जाति जाट साकिन गान्धी बडी तहसील भादरा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

श्री महेश चन्द्र शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 22.10.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 1 बी बारानी के खाता संख्या 70/70 की कुल 3.4530हैक्‍ भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सयुक्त खाते में वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त सयुक्त खाते की भूमि में वादी अकेला 69/314 हिस्सा का एवं प्रतिवादी संख्या 1 अकेली 245/314 हिस्सा की खातेदार काश्तकार है वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का खाता सयुक्त तौर से दर्ज है वादी ने अपने हक हिस्से की भूमि को उपजाउ बनाया हुआ है वाद भूमि मुश्तरका खाते में होने से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का आपस मे तनाजा रहता है इसलिये वादी अपने हक हिस्सा की भूमि का राजस्व रिकार्ड में अलग से खाता कायम करवाना चाहता है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि का राजस्व रिकार्ड में खाता अलग से कायम करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर वादी के हक हिस्सा की भूमि का राजस्व रिकार्ड में अलग से खाता कायम करने के आदेश फरमावे। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान ढण्ढेला में प्रस्तुत होने पर प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 सयुक्त खातेदार काश्तकार है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा के अनुसार वाद भूमि का खाता व लगान अलग से राजस्व रिकार्ड में कायम किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है ईकबाल /सहमति शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गावं के संग अभियान – वर्ष –2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है तथा अपने कथनों के सम्बध में न्यायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 1 बी बारानी के खाता संख्या 70/70 की कुल 3.4530हैक्‍ भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सयुक्त खाते में वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी का कथन है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सयुक्त खाते में दर्ज है वादी अपने हक हिस्सा की भूमि का राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग से कायम करवाना चाहता है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि का वादी के हक

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हिस्सा के अनुसाार खाता व लगान अलग अलग कायम किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल पेश किया जा चुका है।

काई भी मुश्तरका खातेदार काश्तकार आपसी सहमति से सयुक्त खाते की भूमि का अपने हक हिस्सा के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग अलग कायम करवाने का अधिकारी है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी काबिल प्राथमिक डिक्री होने के कारण वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर को मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाता है कि रोही मौजा चक 1 बी बारानी के खाता संख्या 70/70 की कुल 3.4530हैक भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा एवं किस्म भूमि के अनुसार अच्छी में से अच्छी माडी में से माडी के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर प्रस्तुत करे मौका कमीश्नर फिस 500/–रू तय की जाती है जो वादी के द्वारा अदा की जावेगी व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे इसी अनुसार प्राथमिक पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2021 को प्रशासन गावं कें संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट....ढण्ढेला

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सत्यमेव जयते

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
पर्चा डिक्री
(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. मंगतुराम पुत्र पूर्णराम जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 शकुन्तला पुत्री छतसिह जाति जाट साकिन गान्धी बडी तहसील भादरा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1012 सन 2021 निर्णय दिनांक– 22.10.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव कं संग अंभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी काबिल प्राथमिक डिक्री होने के कारण वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर को मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाता है कि रोही मौजा चक 1 बी बारानी के खाता संख्या 70/70 की कुल 3.4530हैक भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा एवं किस्म भूमि के अनुसार अच्छी में से अच्छी माडी में से माडी के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर प्रस्तुत करे मौका कमीश्नर फिस 500/–रू तय की जाती है जो वादी के द्वारा अदा की जावेगी व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे ।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 22.10.2021 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट ढण्ढेला

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सत्यमेव जयते